न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 443/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. मालारामपुत्र रामचन्द्र 2. सुरताराम पुत्र रामचन्द्र 3. रेखाराम पुत्र उदाराम 4. भारमलराम पुत्र उदाराम सभी जाति– जाट, निवासीगण– ग्राम मदावा तहसील सेडवा जिला बाडमैर।		1. गुणेशाराम पुत्र श्री धन्नाराम 2. निम्बाराम पुत्र श्री धन्नाराम 3. पूनमाराम पुत्र श्री धन्नाराम 4. मंगलाराम पुत्र श्री धन्नाराम 5. मालाराम पुत्र श्री धन्नाराम 6. जमना पत्नि श्री धन्नाराम सभी जाति– जाट, निवासीगण– ग्राम मदावा तहसील सेडवा जिला बाडमेर। 7. ओसमान पुत्र श्री मोड़ा 8. मताराम पुत्र श्री जमीन जाति– मुसलमान, निवासीगण– ग्राम मदावा तहसील सेडवा जिला बाडमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.05.2018 उपखण्ड अधिकारी, चौहटन के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 1623/2015 अनवान गुणेशाराम वगैराह बनाम मालाराम वगैराह में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2–श्री के0सी0 चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
2– शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना तामीली के अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 26 जून, 2023

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्टस की खातेदारी का खेत ख0सं0 313/18 रकबा 15.06 बीघा भूमि मौजा मदावा तहसील सेडवा में आई हुई है जिसके सेढा–सेढ अपीलार्थीगण के खेत आये हुए है जो पुरानी माठ व कणे थे, जो आंधियों की वजह से बिखर गये है इसलिये खेतों के सेढों का सही ज्ञान नहीं हो रहा है एवं दोनों पक्षो के बीच में सीमा विवाद बना रहता है, इसलिये खसरान भूमि की नेखमबन्दी किया जाना आवश्यक होने से भूमि की नेखमबन्दी किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्टस के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये जिस पर अपीलार्थीगण के धारा धारा 151 सी0पी0सी0 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि पक्षकारों के मध्य बंटवाडे को लेकर वाद लम्बित है, इस कारण से यह कार्यवाही नहीं की जा सकती है, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 28.5.2018 को राजस्व कैम्प कोर्ट पनोरिया में पत्रावली रखते हुए अपीलार्थीगण को बिना सुने ही रेस्पोडेन्टस के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

वकील अपीलांट ने अपील मामा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 111, 128 के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए विधि विरूद्ध, मनमाना एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व कैम्प कोर्ट में लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण किया है जबकि प्रकरण में किसी प्रकार का कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया और आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को सुना ही नहीं गया है। इस कारण से आलौच्य आदेश निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि पक्षकारों के मध्य एक वाद संख्या 107/2011 अनवान धन्ना बनाम माना सहायक कलेक्टर न्यायालय में लम्बित है जो बंटवाडे का वाद होने के कारण पक्षकारों के मध्य अधिकार तय होने बाकी है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्टस का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि की मौके पर तरमीम की कार्यवाही नहीं की और तरमीम रिपोर्ट को पत्रावली पर लिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एक प्रशासनिक आदेश है जो बिना किसी कारण के पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का राजस्व कैम्प कोर्ट में निस्तारण करने से अपीलान्टस को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं होकर दिनांक 31.10.2018 को होने पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करते हुए यह अपील प्रस्तुत की है जो अन्दर म्याद शुमार की जावें। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि की बिना तरमीम किये, बिना बंटवाडा किये पत्थरगढी व नेखमबन्दी की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्टस स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2018 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्टस की खातेदारी का खेत ख0सं0 313/18 रकबा 15.06 बीघा भूमि मौजा मदावा तहसील सेडवा में आई हुई है जिसके सेढा–सेढ अपीलार्थीगण के खेत आये हुए है जो पुरानी माठ व कणे थे, जो आंधियों की वजह से बिखर गये है इसलिये खेतों के सेढों का सही ज्ञान नहीं हो रहा है एवं दोनों पक्षो के बीच में सीमा विवाद बना रहता है, इसलिये खसरान भूमि की नेखमबन्दी किया जाना आवश्यक होने से भूमि की नेखमबन्दी किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्टस के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये थे। जिस पर अपीलार्थीगण के द्वारा उपस्थित होकर अपना प्रत्युतर भी पेश किया था।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का वर्ष

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

2012 में बंटवाडा होकर डिक्री जारी की जा चुकी थी एवं तदनुसार ही तरमीम हो चुकी थी। सहायक कलेक्टर न्यायालय की ओर से पारित डिक्री व बंटवाडा आदेश अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। उक्त बंटवाडे के पश्चात वादग्रस्त भूमि बंटा नम्बर डाले जाकर अलग–अलग खाते दर्ज किये गये जिसमें खसरा संख्या 165/18 का नया खसरा संख्या 313/18 पडा। रेस्पोडेन्टस के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त खसरा संख्या 313/18 रकबा 15.06 बीघा भूमि की पत्थरगढी पैमाइश व नेखमबन्दी करवाये जाने हेतु पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदार को अपनी भूमि की पैमाइश व पत्थरगढी करवाने का अधिकारी मानते हुए यह अपीलाधीन आदेश पारित किया गया कि उक्त खसरान भूमि की दोनों पक्षों के रूबरू/उपस्थिति में किसी मुस्तकील बिन्दु/स्थाई बिन्दू को आधार मानकर पैमाइश करने व भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे में परिवर्तन किये बिना पैमाइश व नेखमबन्दी की जावे व किसी प्रकार स्थाई बिन्दू को लेकर विवाद हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है और न ही अपीलार्थीगण के हक–अधिकारों को प्रभावित किया है। अतः अपीलान्टस की अपील सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.5.2018 को बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट के द्वारा अपील के संलग्न प्रस्तुत म्याद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.05.2018 का एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो आदि का अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चौहटन में दिनांक 14.03.2015 को बंटवाडा हो चुका है व इसी बंटवाडे के अनुरूप ही रेस्पोडेन्टस ने अपने खेत खसरा संख्या 313/18 रकबा 15.06 बीघा की पैमाइश व पत्थरगढी चाही गई। अधीनस्थ न्यायालय में वर्तमान अपीलान्ट की ओर से दिनांक 15.10.2015 को अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दायर दिनांक 31.07.2015 से दिनांक 28.5.2018 तक उभय पक्षकारान की सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप की गुंजाइश प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौहटन के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2018 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 26 जून, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर